न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या – 1/2024

अपीलांटगण	बनाम	रेस्पोडेन्टस
श्रीमती पप्पुदेवी पुत्री स्व0 जोधाराम पत्नी गजाराम जाति विश्नोई निवासी भगतासनी सील लूणी जिला जोधपुर। कमली देवी पुत्री स्व0 श्री जोधाराम पत्नी बीरबलराम जाति विश्नोई निवासी मकान र 179 इशरामो को मौहल्ला बिलाडा सील बिलाडा जिला जोधपुर।		01.हरभजन राम पुत्र श्रीराम 02.राजुराम पुत्र श्रीराम जाति विश्नोंई निवासीगण खेजडली कला तहसील लूणी 03.ग्राम पंचायत खेजडली कला जरिये सरपंच तहसील लूणी जोधपुर। 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 663 ग्राम पंचायत खेजडली कला द्वारा दिनांक 20.06.2008 को स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण खारिज किया जाने के विरूद्व पेश किया गया ।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – ओमप्रकाश डारा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्वय उपस्थित।

:: आदेश :: दिनांक : 5/11/2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 663 दिनांक 20.06.2008 ग्राम पचायत खेजडली कला तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण किया गया जिस के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खेजडजी कला के खसरा नम्बर 491 रकबा 77 बीधा 18 बिस्वा मे 1/3 भाग के खातेदार जोधाराम पुत्र धूलाराम, 1/3 भाग के खातेदार सुखाराम पुत्र सुराराम तथा 1/3 भाग के खातेदार लाधुराम मांगीलाल बगडुराम हिराराम पिसरान घेवरराम थे अपीलार्थी के पिता जोधाराम का स्वर्गवास दिनांक 14.11.1999 को हो गया उसकी मृत्यु के समय उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान मे उनकी दो पुत्रिया वर्तमान अपीलार्थीगण व उनकी पत्नी झमकु हुए। जोधाराम के स्वर्गवास के बाद अपीलार्थी की माता झमकु ने श्रीराम के साथ विवाह कर लिया था झमकु एव श्रीराम के वैवाहिक जीवन मे उनके दो पुत्र हरभजन व राजूराम रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 तथा तीन पुत्रियॉ हुई। श्रीराम की तीनो पुत्रीयो ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई हरभजन राम व राजूराम के पक्ष मे हकतर्क कर दिया। झमकु का स्वर्गवास हो चुका है इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 12.01.2024 को जमाबन्दी व नक्शा की सत्याप्रति प्रति प्राप्त जिसको पढाने पर मालूम हुआ की खसरा नम्बर 491 की भूमि मे झमकु पत्नी जोधाराम 1/15 हिस्सा अपीलार्थी पपुदेवी पुत्री जोधाराम 1/15 हिस्सा अपीलर्थी कमलीदेवी पुत्री जोधाराम 1/15 हिस्सा तथा हरभजन पुत्र जोधाराम 1/15 हिस्सा हरभजन पुत्र श्रीराम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

1/6 हिस्सा तथा राजूराम पुत्र जोधाराम 1/15 हिस्सा राजुराम पुत्र श्रीराम 1/6 हिस्सा दर्ज पाया गया ततःपश्चात अपीलार्थी ने म्यूटेशन संख्या 663 की नकल प्राप्त की जिसको देखने से उक्त नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी हुई इससे पहले कोई जानकारी नही थी। उक्त नामान्तरकरण संख्या 663 के विरूद्व न्यायालय मे अपील पेश की गई।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिली शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से स्वय द्वारा जबाव पेश किया रेस्पोडेण्टस द्वारा जबाव मे अपील अपीलार्थी के पक्ष मे स्वीकार कि जावे तो किसी प्रकार का एतराज नही है । अपीलाण्टगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से अपीलाण्ट के पक्ष मे अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होना पाया जाता है। न्यायहित मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के उचित प्रतीत होने पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम खेजडली कला द्वारा नामान्तरकरण सख्या 663 दिनांक 20.06.2008 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि सभी हितबद्व पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए स्व0 जोधाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कोसोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 5/11/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।